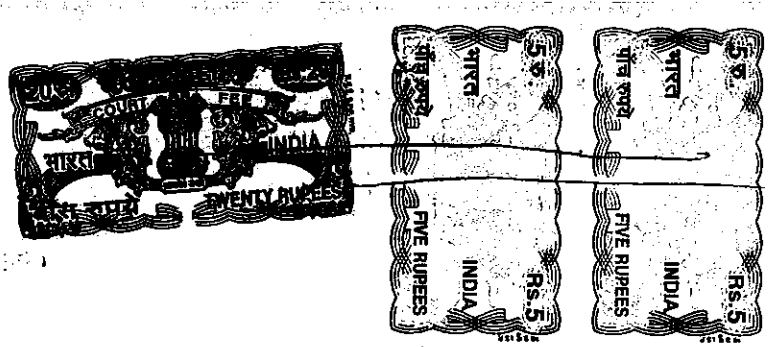

202

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

निग – 1166 – II – 16

प्र. क्र. / /2016 निगरानी

रन्नो कुम्हार पत्नी श्री हल्के कुम्हार
आयु 48 वर्ष, व्यवसाय कृषि / गृहकार्य,
निवासी–रानीबाग रोड आगरा मोहल्ला
पन्ना म0 प्र0

.....निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि. 11.4.16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 11.4.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

11-4-16

विरुद्ध

1 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर पन्ना
2 नगर पालिका पन्ना द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना

......रेस्पोंडेट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 29/02/2016 प्र0 क्र0 02/निगरानी/2011–12 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना बउन्मान रन्नो कुम्हार विरूद्ध म0 प्र0 शासन एवं अन्य

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–

1 यहकि, ग्राम पन्ना के आराजी क्र0 515 रकवा 2.00 हैक्टयर भूंमि का बंटन ईट भट्टा निर्माण हेतु निगरानीकर्ता को तहसीलदार पन्ना द्वारा राजस्व प्रकरण क्र0 14/अ–19ब/92–93 आदेश 15/06/1998 को पट्टे पर शासन द्वारा प्रदाय की गई थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1166–दो/16 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–10–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 02/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 29–02–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि ग्राम पन्ना के आराजी कमांक 515 रकवा 2.00 हे0 भूमि का बंटन ईट भट्टा निर्माण हेतु आवेदक को तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक 14/अ–19ब/92–93 आदेश दिनांक 15–6–1993 को पट्टे पर प्रदाय किया था। इसके पश्चात आवेदक राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप अंकित रहा। लगभग 13 वर्ष पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 60/अ–6अ/04–05 कायम कर बिना आवेदक को सूचना दिये आवेदक को प्रदाय पट्टा बिना अधिकार एवं सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 04–6–2005 को आदेश पारित करते हुये निरस्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2005 की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील एवं अवधि विधान की धारा 5 मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26–5–2009 को बिना गुण–दोषों पर विचार कर अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में	

त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर पन्ना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, परन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदक द्वारा उठाये विधिसगंत तर्कों पर बिना विचार किये आदेश दिनांक 29–2–2016 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित मानकर निगरानी निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की है। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार पन्ना के प्रकरण कमांक 29/अ–19(ब)/1992–93 आदेश दिनांक 15–6–1993 के द्वारा आवेदिका रन्नो को प्रश्नाधीन भूमि का बंटन किया गया था जिसके पश्चात आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर भूमिस्वामी अंकित रहा। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार प्रकरण कमांक 60/अ–6(अ)/04–05 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 4–6–2005 को यह तथ्य अंकित करते हुये कि कलेक्टर पन्ना ने पृ0 कमांक 1009/रीडर/1995 दिनांक 28–7–1995 द्वारा निर्देशित किया गया कि पटवारी अभिलेख में फर्जी प्रकरण दर्ज कर पट्टो को इन्द्राज किया गया है तथा पटवारी द्वारा अंकित प्रकरण फर्जी है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रविष्टि को तत्काल तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा सुधार किया जाकर भूमि को पूर्व स्थिति (म0प्र0 शासन) अंकित करने की कार्यवाही की

जाए। सर्वप्रथम तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कलेक्टर के पत्र दिनांक 28–7–1995 किस प्रकार में जारी किया गया है तथा उक्त पत्र के आदेश के पालन 10 वर्ष पश्चात क्यों किया गया। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा अपने समकक्ष प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में पुनः कार्यवाही प्रारंभ कर उसके पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के पूर्व संहिता के प्रावधान के अनुसार वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं ली गई थी। चूंकि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ–19(ब)/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 15–6–93 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में बंटन आदेश पारित किया गया था इसलिए तहसीलदार को उक्त प्रकरण की जांच करने अथवा आदेश में फेरफार करने हेतु विधिवत अपने से वरिष्ठ न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई है। इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश रेसज्यूडीकेटा की परिधि में आता है जो विधि विपरीत होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा आवेदिका जो कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थी, उसे बिना सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये बंटन आदेश दिनांक 15–6–1993 को निरस्त कर भूमि म0प्र0 शासन दर्ज करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश के प्रश्न हैं अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि जैसे तकनिकी बिन्दु पर निरस्त करने में

त्रुटि की है जिसे अपर कलेक्टर द्वारा उचित मानकर निगरानी अस्वीकार की है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का तकनीकी आधार पर न करते हुये गुण–दोषों पर किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को विलम्ब पर सदभाविक रूख अपना चाहिए। इस संबंध में 1987 एस0सी0 1353 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

" Limitation Act (36 of 1963) S. 5- Condonation of delay - Courts should adopt liberal approach - Reasons for adopting such approach stated.

इसी प्रकार 1997 आरएन 310 दीपचंद गुजकर विरूद्ध संयुक्त रजिस्ट्रार में न्याय दृष्टांत 1987 (सु कोर्ट) 1353 पर अविलबिंत होते हुये निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया–

"धारा 5 विलम्ब माफ किया जाना– विषय के गुणागुण पर सारवान न्याय किया जाना चाहिए– मामला देरी आदि से दाखिल करने पर पक्षकार को कोई फायदा नहीं मिलेगा। विलम्ब की माफी के आवेदन के विनिश्चयन के समय इस सिद्धांत को विचार में लिया जाना चाहिए।"

स्पष्ट है कि चूंकि आवेदिका तहसील न्यायालय में हितबद्ध पक्षकार को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था इसलिए आवेदिका की ओर से जानकारी दिनांक प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी समयावधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है, जबकि तहसीलदार द्वारा पारित विधिविपरीत आदेश के विरूद्ध तकनीकी आधारों

पर आदेश न पारित करते हुये प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण करना चाहिए था। ऐसा न करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गंभीर त्रुटि की है। अपर कलेक्टर द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने अनियमित एवं विधिविपरीत आदेश पारित किये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। कलेक्टर के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा प्र0कं0 60/अ–6अ/04–05 द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त किया, तदुपरान्त कलेक्टर पन्ना द्वारा प्र0कं0 —/अ–19/07–08 में दर्शित पृ0कं0 21/रीडर/2007 पन्ना दिनांक 5–1–08 द्वारा मुख्य नगर पालिका को न्यू बस स्टेण्ड को आवंटित किया गया आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार पन्ना 04–5–2006, अनुविभागीय अधिकारी पन्ना का आदेश दिनांक 26–5–2009 एवं अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 29–2–2016 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाते हैं। प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में आवेदिका का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा नगर पालिका को आवंटन आदेश दिनांक 31–12–07 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के. सिंह)
सदस्य